



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1998]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937

No. 1998]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

का.आ. 2546(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ क (2) में दिये गये अधिकारियों को विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 (जो राष्ट्रीय राजमार्ग तुलजापुर से प्रारंभ होकर लातूर, अहमदपुर, नांदेड, यवतमाल, वर्धा को जोड़ते हुए महाराष्ट्र राज्य में बुटीबोरी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के जंक्शनपर समाप्त होता है) के कि.मी. 80.000 से कि.मी. 265.600 तक तथा किमी 612.200 से कि.मी. 643.200 तक के खण्ड के नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ क. (3) में विनिर्दिष्ट खण्ड तथा अधिसूची के स्तंभ क. (4) से (7) तक नमुद किये गये संबंधित जिला, तहसील/तालुका, पुलिस थाना व गाँव, के लिए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के लिये भूमि का अर्जन ।

कम संख्या	प्राधिकृत भूमि अर्जन आधिकारी	भूमि का खण्ड	जिला	तालुका / तहसील	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपविभागीय आधिकारी तथा भूमि अर्जन आधिकारी, यवतमाल	कि.मी. 110.800 से कि.मी. 207.200 तक	यवतमाल	यवतमाल	यवतमाल (ग्रामीण)	1) बेलुरा 2) खरोला 3) शिवनधरी 4) मनपुर 5) म्हसोला 6) गोघणी 7) भोसा 8) डोलंबा 9) भारी
				आर्णी	आर्णी	10) देउरवाडी

2	उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी, उमरखेड	किमी 207.200 से कि.मी. 262.600 तक	यवतमाल	महागॉव	महागॉव	11)	पोहनदुल
						12)	वाघनाथ
				उमरखेड	उमरखेड	13)	अमनपुर

[फा. सं. भाराराप्रा / एलए/एमएच-361/2015 एफ.टी.एस-46]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2015

S.O. 2546(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in Column (2) of the scheduled annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to Districts, Taluka/Tahasil, Police station and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for building widening 4-laning, maintenance, management and Operation of National Highway No. 361 in the State of Maharashtra from km 80.000 to km. 265.600 & from km. 643.200 to km. 612.200. (The Highway starting From Tuljapur connecting Latur, Ahmedpur, Nanded, Yavatmal, Wardha and terminating at its junction with NH-44 near Butibori in the State of Maharashtra).

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

Serial number	Competent Authority	Stretch of Land	District	Taluka / Tahasil	Police Station	Name of Village	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Sub Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Yavatmal	From km 110.800 to km 207.200	Yavatmal	Yavatmal	Yavatmal (Rural)	1)	Belura
						2)	Kharola
						3)	Shiwandhari
						4)	Manpur
						5)	Mhasola
						6)	Godhani
						7)	Bhosa
						8)	Dolamba
						9)	Bhari
2	Sub Divisional Officer and Land Acquisition officer, Umarkhed	From km. 207.200 to km. 262.600	Yavatmal	Arni	Arni	10)	Deurwadi
				Mahagaon	Mahagaon	11)	Pohandul
						12)	Waghath
Umarkhed	Umarkhed	13)	Amanpur				

[F. No. NHA/LA/NH-361/2015/FTS-46]

V. KRISHNASWAMY, Director